

पत्रांक १८०७ / वनभूमि

दिनांक ९/४/२०१९

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,  
उत्तरकाशी।

विषय :—

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी)।


महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 24-12-2018) का बिन्दुवार निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	KML file of CA area is uploaded at para C (ii) b in place of proposed road.	मार्ग समरेखण की के.एम.एल. फाईल यथास्थान पर अपलोड कर दी गयी है।
2	Bar chart is not found submitted/uploaded.	बारचार्ट अपलोड कर दिया गया है।
3	Name of village mentioned at para B2.3 is 'Manjgaon' but VLC submitted for 'saund' and 'Manjgaon'.	इस मोटर मार्ग से सौंद एवं मंजगांव जुड़ते हैं जिस कारण दोनों गांव की आम सहमति का प्रपत्र संलग्न किया गया है।
4	Overwriting has been found in CA scheme which needs to be corrected.	प्रपत्र सही कर आपलोड कर दिया गया है।
5	Comparative statement of various alignment of road is not found uploaded.	ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
6	Authority letter is not submitted in hard copy.	प्रपत्र ऑनलाईन सही कर दिया गया है।
7	As per the DSS the total area provided is less than the required.	उपलब्ध कराई गयी सिविल सोयम वनभूमि मांग से कम नहीं है।
8	Part V is not submitted in hard copy.	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा नहीं भरा जाना है।
9	Muck disposal plan is not found uploaded.	ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
10	Following documents have not been found uploaded in web portal :— a. Tree enumeration list. b. Aerial distance certificate. c. Work not start certificate.	ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय


दिनांक ९/४/१९  
अधिशासी अभियन्ता,  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि�०वि०,  
उत्तरकाशी।